भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2023
दिनांक 30 जुलाई, 2026

आईओएल द्वारा कोलकाता-हल्दिया पत्तन के लिए परिवहन हेतु निविदा

2023. **श्री सुनील कुमारः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के अधीन इंडियन ऑयल लिमिटेड (आईओएल) द्वारा कोलकाता-हल्दिया पत्तन के माध्यम से टैंकर ट्रकों द्वारा परिवहन हेतु कोई निविदा जारी की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त निविदा में टैंकर ट्रकों के पंजीकरण में अनियमितता संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शिकायत प्राप्त होने के पश्चात टैंकर ट्रकों के पंजीकरण की जांच की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या निर्धारित समय-सीमा के पश्चात टैंकर ट्रक लाए जाने के बावजूद उनके पंजीकरण की जांच किए बिना अनुबंध पत्र जारी किया गया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) एक बोर्ड संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी है। इसे अपने वाणिज्यिक/प्रशासनिक मामलों में प्रचालन और प्रशासन की स्वायत्तता है।

ब्लैक ऑयल उत्पादों के परिवहन के लिए 80 टैंक ट्रकों (टीटीज) को शामिल करने हेतु आईओसीएल द्वारा बल्क पीओएल प्रोडक्टस-ब्लैक ऑयल एक्स हल्दिया रिफाइनरी टर्मिनल के लिए निविदा प्रकाशित की गई थी।

विषयगत निविदा में कुल 94 बोलीदाताओं ने भाग लिया, जिनमें से 78 बोलीदाता (567 टीटीज) योग्य पाए गए और 16 बोलीदाताओं को तकनीकी वाणिज्यिक आधार पर अस्वीकार किया गया ।

निविदा दस्तावेजों में दिए गए मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर बोलीदाताओं की रैंकिंग की गई और अंत में निविदा विचार समिति (आईओसीएल) द्वारा कुल 80 टीटीज वाले 10 बोलीदाताओं को स्वीकृति पत्र (एलओए) जारी करने के लिए सिफारिश की गई ।

(ख) कुछ शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कुछ बोलीदाताओं द्वारा केवल आंशिक पंजीकरण विवरण के आधार पर टीटीज के फर्जी या समय से पहले तैयार किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने और संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाया गया था।

इसी विषय पर माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता में सात रिट याचिकाएँ दायर की गई हैं। सभी याचिकाओं को क्लब करते हुए मामला न्यायाधीन है। हालाँकि, माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.6.2026 और 01.07.2026 के अपने अंतरिम आदेश में यह टिप्पणी की है कि "उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का मानना है कि निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार, आईओसीएल को यह देखना है कि उक्त निविदा में भाग लेने वाली फर्म के नाम पर वाहन पंजीकृत है या नहीं और संबंधित वाहनों के पंजीकरण दस्तावेज के संबंध में सत्यापन करना कि वाहन अवैध रूप से पंजीकृत है या कानूनी तौर पर, यह देखना आईओसीएल का कर्तव्य नहीं है"।

(ग) और (घ) निविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार, स्वीकृति पत्र जारी करने से पहले टीटी के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) का सत्यापन किया जाता है और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के साथ टैंक ट्रक (टीटी) का वास्तविक निरीक्षण, कार्य आदेश जारी करने से पहले प्रचालन स्थल पर किया जाता है।

विषयगत निविदा में, एलओए जारी करने के लिए योग्य 80 टैंक ट्रकों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों का वाहन/परिवहन पोर्टल के माध्यम से सत्यापन किया गया और वे सही पाए गए। तदनुसार सफल 10 बोलीदाताओं (80 टीटीज) को दिनांक 04.06.2026 को एलओए जारी किए गए। इसके अलावा, कार्य आदेश जारी करने से पहले टैंक ट्रकों (टीटी) का वास्तविक निरीक्षण और अन्य अपेक्षित दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित स्थान पर किया गया।
